सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 20 जनवरी, 2001 ई0

पौष 30, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 11/वि0 एवं सं0 कार्य/2001

देहरादून, 20 जनवरी, 2001 ई0

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 18 जनवरी, 2001 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 1 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 1 सन् 2001)

(जैसा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 11 दिसम्बर, 2000 ई0 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 में नई धारा का जोड़ा जाना

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में धारा 10–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

"10–कक–नया बोर्ड गठित किये जाने तक बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध :– जहां नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका हो और नई नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ हो, तो नई नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत का समुचित गठन होने तक–

(क) नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत, उसके अध्यक्ष और समिति की समस्त शक्तियां कार्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारी (एतद्पश्चात् प्रशासक कहा जायेगा) में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन की जायेंगी और प्रशासक विधि की दृष्टि में नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष अथवा समिति, जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों, समझा जायेगा;

(ख) प्रशासक को ऐसा वेतन एवं भत्ता नगरपालिका कोष से देय होगा जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नियत करे;

(ग) राज्य सरकार समय-समय पर, गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे आनुषंगिक या प्रासंगिक उपबन्ध जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध शामिल हैं, किन्तु जो तत्व पर प्रभाव न डाले, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हो, बना सकेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक जिलाधिकारी हैं वह राज्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी अथवा किसी शक्तियों, कार्यों एवं कर्तव्यों का प्रत्यायोजन अपने से किसी अधीनस्थ अधिकारी (एतद्पश्चात् भारसाधक अधिकारी कहा जायेगा) को कर सकेगा और एतद्पश्चात् भारसाधक अधिकारी को वेतन एवं भत्ते खण्ड (ख) के अनुसार देय होंगे :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह भी है कि इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक के कार्यकाल की अवधि छह मास या नई नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के गठन तक जो भी पहले हों, से अधिक नहीं होगी ।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 2 सन् 2000

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

इरशाद हुसैन,

सचिव।